रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1970/फाल्गुन 9, 1891
No. 69] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1970/PHALGUNA 9, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi the 28th February 1970

S.O. 834.—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder, six members to fill the seats of members of the Council of States who are retiring on the 2nd April, 1970, on the expiration of their term of office.

[No. F. 13(1)/70-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1970

का० आ० 834.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षा करते हैं

कि वे राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार छः सदस्यों का निर्वाचन करें।

[सं० एफ० 13(1)/70-वि-II]

एन० डी० पी० नाम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970